



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11102021-230348
CG-DL-E-11102021-230348

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3860]
No. 3860]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 11, 2021/आश्विन 19, 1943
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 11, 2021/ASVINA 19, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4207(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 139 की उपधारा (1ग) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा, उक्त सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन नीचे सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित व्यक्तियों के वर्ग को उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2021-2022 से आगे आय की विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा से छूट प्रदान करती है:-

सारणी

क्रम सं.	व्यक्तियों का वर्ग	शर्तें
(1)	(2)	(3)
1.	(i) कंपनी नहीं होने के नाते एक अनिवासी; या (ii) एक विदेशी कंपनी	(i) व्यक्तियों का उक्त वर्ग उक्त अधिनियम की धारा 10 के खण्ड (4घ) के स्पष्टीकरण के खण्ड (ग) के उपखण्ड (i) में संदर्भित विनिर्दिष्ट निधि में निवेश से आय से भिन्न पूर्व वर्ष के दौरान भारत में कोई आय अर्जित नहीं करता है; तथा

		(ii) उक्त अधिनियम का धारा 139 (क) के प्रावधान आयकर नियमावली, 1962 (इसके पश्चात 'उक्त नियम' कहा गया) के नियम 114 ककख के उपनियम (1) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन व्यक्तियों के उक्त वर्गों पर लागू नहीं है।
2.	पात्र विदेशी निवेशक होने के नाते एक अनिवासी	<p>(i) पूर्व वर्ष के दौरान व्यक्तियों के उक्त वर्ग ने उक्त अधिनियम की धारा 47 के खण्ड (viiकख) में ही संव्यवहार किया है जो किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है तथा ऐसी पूँजीगत परिसंपत्ति के अंतरण पर प्रतिफल विदेशी मुद्रा में किया जाता है अथवा संदेय होता है;</p> <p>(ii) पूर्व वर्ष के दौरान व्यक्तियों के उक्त वर्ग को उक्त अधिनियम की धारा 47 के खण्ड (viiकख) में संदर्भित पूँजीगत परिसंपत्ति के अंतरण से प्राप्त आय से भिन्न कोई आय अर्जित नहीं होती है; तथा</p> <p>(iii) उक्त अधिनियम की धारा 139क के प्रावधान उक्त नियमावली के नियम 114ककख के उपनियम (2क) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने पर व्यक्तियों के उक्त वर्ग पर लागू नहीं होते हैं।</p>

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ:-

(क) **“पात्र विदेशी निवेशक”** का आशय एक ऐसे अनिवासी से है जो भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड, परिपत्र आईएमडी/एचओ/एफपीआईसी/सीआईआर/पी/2017/003 दिनांक 04 जनवरी, 2017 के अनुसार कार्य करता है;

(ख) **“अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र”** का आशय वहीं होना जैसा कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खण्ड (थ) में दिया गया है,

(ग) **“मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज”** का आशय वही होगा जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 43 के उपधारा (5) के स्पष्टीकरण 1 के खण्ड (ii) में दिया गया है।

3. आय की विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा से उपर्युक्त छूट उक्त सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित व्यक्तियों के वर्ग पर लागू नहीं होगी जहां उसमें विनिर्दिष्ट निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी दाखिल करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 142 अथवा धारा 148 अथवा धारा 153क अथवा धारा 153ग की उपधारा (1) के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है।

4. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. 119/2021/फा. सं. 225/76/2021-आईटीए-II]

रविन्दर मैनी, निदेशक (आईटीए-II)